

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)  
प्रकरण संख्या- /

अन्तर्गत धारा:- .....बनाम.....

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

21/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/वादी स्वयं अनुपस्थित  
है। आदेश नहीं सुनाया जा सका पत्रावली द्वारा  
दिनांक 20/2/25 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

25/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील जाँच उपस्थित है। पत्रावली  
वास्तु आदेश जाँच पत्र द्वारा 128 LRA बाबत निमत  
है। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन  
तथा बहल जाँच पत्र पर मनन किया गया। पत्रावली  
में वकील जाँचों को बार-बार जाँचों के मन्दिर के पुजारी  
होने के दस्तावेज पेश करने बाबत समय दिये जाने  
पर्याप्त अवसर उदान किये जाने के उपरान्त भी वकील  
जाँचों/जाँचों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न पत्रावली  
नहीं कराया गया, जिससे न्यायालय को यह समाधान  
दे सकें की, जाँचों माता जी मंदिर (करणी माता) का  
पुजारी है। युकी जाँचों उरुनगत आराजी की  
पत्नर गद्दी बाबत स्वयं को मन्दिर मूर्ति का  
पुजारी साबित कर पाने में असमर्थ रहे अतः  
पत्रावली के अवलोकन तथा बहल पत्रावली के मनन  
पश्चात वकील जाँचों/जाँचों द्वारा उस्तुत जाँचों  
पत्र द्वारा 128 LRA अनुतोष योग्य नहीं होने तथा  
जाँचों/जाँचों वकील के उकरण अनुतोष योग्य  
होना साबित कर पाने में असमर्थ होने से वकील जाँचों/  
जाँचों द्वारा उस्तुत जाँचों पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली  
फैसल कुमार हा नम्बर सेरुम होकर दाखिल दफ्तर है।  
निर्णय आज दिनांक 25/2/25 को सर्वे इजलास  
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)